



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102024-258016
CG-DL-E-17102024-258016

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 591]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 17, 2024/आश्विन 25, 1946

No. 591]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 17, 2024/ASVINA 25, 1946

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 647(अ).—पूर्व राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. सं. 675(अ) दिनांक 29, सितम्बर, 2021 का अधिक्रमण करते हुए और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 3) की धारा 33-च की उप-धारा (1) और धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 165 के अंतर्गत निर्धारित योग्यता के अनुसरण में आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधों के सम्बन्ध में डॉ. एस. सी. वर्मा, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन विज्ञान) और डॉ. जायान्ती ए., प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी (फार्माकोग्रांसी), भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच), गाजियाबाद को पूरे भारत के लिए सरकारी विश्लेषक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. वाई-11015/05/2024-एलपी]

डॉ. मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद)

MINISTRY OF AYUSH**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th September, 2024

G.S.R. 647(E).—In supersession of previous Gazette notification vide G.S.R No. 675 (E) dated 29th September, 2021 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 33-F and Sub-section (2) of the Section 20 Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby appoints Dr. S.C. Verma, Principal Scientific Officer (Chemistry) and Dr. Jayanthi A, Principal Scientific Officer (Pharmacognosy), Pharmacopoeia Commission for India Medicine & Homoeopathy (PCIM&H), Ghaziabad as Government Analyst for the whole of India in respect of Ayurvedic, Siddha, Unani and Homeopathy drugs in accordance with the qualification prescribed under Rule 165 of the Drugs & Cosmetics Rules, 1945.

[F. No. Y-11015/05/2024-LP]

Dr. MANOJ NESARI, Adv. (Ayurveda)